अध्याय IV : रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति

4.1 अधिक भुगतान की गई सब्सिडी पर ब्याज वसूल न करना

रियायत दर के अधोमुखी संशोधन के कारण अधिक दी गई सब्सिडी पर ₹25.78 करोड का ब्याज वसूल नहीं किया गया था।

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) ने यूरिया यूनिटों के संबंध में भुगतानों/वसूलियों के लिए बिल प्रस्तुत करने की संशोधित पद्धति शुरू की (26 मार्च 2004)। इस पद्धति के अनुसार, इनपुट कीमतों में कमी तथा परिणामत: ग्रुप रियायत दर में अधोमुखी संशोधन के कारण यूनिटों से किसी वसूली के मामले में, अन्तरीय राशि[1] 45 दिनों की अवधि के अन्दर इन यूनिटों द्वारा जमा कराई जानी अपेक्षित थी। विलम्बित उधारों पर भारतीय स्टेट बैंक की उधार देने की प्रमुख दरों से 3 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज देय था।

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि रियायत कीमत की कमी की अधिसूचना के परिणामस्वरूप निम्नलिखित तालका में उल्लिखित यूरिया यूनिटों को एफआईसीसी को ₹1506.03 करोड की अन्तरीय राशि जमा करानी थी। तथापि, यह देखा गया कि इसके बजाए, एफर्आइसीसी ने इन यूनिटों के बाद के सब्सिडी भुगतानों में से राशियों की वसूली/समायोजन कर लिया था, और यद्यपि उक्त वसूली/समायोजन में 8 से 142 दिनों का विलम्ब था। एफआईसीसी ने ₹25.78 करोड के ब्याज की वसूली नहीं की थी। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

[1] निवल उगाही तथा रियायत की दर के बीच अन्तर

क्र. सं.	यूनिट का नाम	कमी की अधिसूचना की तारीख	निर्धारित तिथि जब तक अन्तरीय राशि यूनिट द्वारा जमा कराई जानी थी	तारीख जिसको एफआईसीसी द्वारा बाद के बिल से अन्तरीय राशि वसूल की गई थी	अन्तरीय राशि की वसूली में (दिनों में विलम्ब)	वार्षिक कमी के प्रति एफआईसीसी द्वारा वसूल की गई राशि (₹करोड में)	नियत तिथि को उधार देने की मुख्य दर	ब्याज की उदग्रहीत की जाने वाली दर (एफआईसीसी की प्राथमिक उधार देने की दर से 3 प्रतिशत अधिक)	ब्याज की वसूली न करना (₹ करोड में)[2]
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)
1.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.-I	01.10.2013	15.11.2013	02.04.2014	137	15.60	14.75	17.75	1.03
		06.01.2015	20.02.2015	06.04.2015	44	53.14	14.75	17.75	1.14
2.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन	26.11.2013	10.01.2014	04.04.2014	83	12.22	14.75	17.75	0.49
		09.06.2015	24.07.2015	12.08.2015	18	207.01	14.45	17.45	1.78
3.	इण्डो गल्फ फर्टिलाईलर्स	22.12.2014	05.02.2015	07.04.2015	60	41.44	14.75	17.75	1.20
4.	कृभको	12.09.2013	27.10.2013	22.01.2014	86	119.47	14.55	17.55	4.94
5.	नेशनल फर्टिलाईजर्स लि. विजयपुर-II	11.12.2012	25.01.2013	16.04.2013	80	116.89	14.50	17.50	4.48
		10.02.2015	27.03.2015	07.04.2015	10	178.55	14.75	17.75	0.86
6.	नेशनल फर्टिलाईजर्स भटिण्डा	24.06.201 5	08.08.2015	17.08.2015	08	515.18	14.45	17.45	1.97
				15.09.2015	37	39.04	14.45	17.45	0.69
7.	टाटा केमिकल्स लि.	30.11.2012	14.01.2013	06.06.2013	142	79.33	14.50	17.50	5.40
		22.01.2015	08.03.2015	07.04.2015	29	128.16	14.75	17.75	1.80
					जोड़	**1506.03**			**25.78**

इस प्रकार, एफआईसीसी द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन न करने का परिणाम रियायत दर में वृद्धि के कारण लिए गए ऋण के विलंब पर ₹25.78 करोड़ के ब्याज की गैरवसूली में हुआ।

उर्वरक विभाग (डीओएफ) ने उत्तर दिया (मई 2016) कि कभी-कभी बजट की अनुपलब्धता के कारण एफआईसीसी यूरिया यूनिटों को समय पर सब्सिडी

[2] ब्याज की वसूली न करने की गणना = (कॉलम एफ × कॉलम एच × कॉलम ई)/(100×365)

भुगतान करने में समर्थ नहीं था लेकिन कोई ब्याज अदा नहीं किया गया था। ग्रुप रियायत दर के अधोमुखी संशोधन की विलम्बित वसूली/समायोजन के लिए ब्याज का उद्ग्रहण किया जाता तो यूरिया यूनिट मुकदमेबाजी का सहारा ले सकते थे, और एफआईसीसी अपने पक्ष का बचाव करने लायक नहीं होता।

डीओएफ का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एफआईसीसी द्वारा ब्याज की वसूली का प्रावधान शुरू किया गया था, और यह संभ्वायत: जमीनी हकीकत के साथ किया गया था।